संदिग्ध लोगों को मताधिकार देकर किसे लाभ दे रही कांग्रेस : भाजपा

सुधांशु ने बोले, घुसपैठ वाली धुबरी सीट से हुई थी कांग्रेस की बड़ी जीत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) पर सवाल उठाकर सड़क पर विपक्षी विरोध मार्च का नेतृत्व कर रही कांग्रेस पर भाजपा ने करारा पलटवार किया है। भाजपा सांसद डा. सुधांशु त्रिवेदी ने पार्टी से पांच तीखे प्रश्न पूछने के साथ ही दावा किया कि भाजपा सरकार आने के बाद जांच में 5.8 करोड़ फर्जी राशन कार्ड मिले और मनरेगा लाभार्थियों में 2019 के बाद 4.54 करोड़ लोग ऐसे पाए गए, जो अस्तित्व में ही नहीं थे और मनरेगा के तहत मजदूरी पा रहे थे। कांग्रेस बताए कि लाभार्थियों की इन सूचियों में फर्जी नाम निकल सकते हैं तो मतदाता सूची में संदिग्ध लोग क्यों नहीं हो सकते? उन्होंने सवाल उठाया कि संदिग्ध मतदाताओं को बिना जांच के मताधिकार देकर कांग्रेस किसे लाभ पहुंचाना चाहती है? उन्होंने याद दिलाया कि सर्वाधिक घुसपैठ वाली असम की धुबरी सीट पर ही कांग्रेस को सबसे बड़ी लगभग 10 लाख वोटों से जीत मिली थी।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डा. सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर मतदाता सूची और चुनाव आयोग सहित अन्य संवैधानिक संस्थाओं को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं के पुराने वीडियो दिखाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता पहले स्वयं डुप्लीकेट, मृत और स्थानांतरित मतदाताओं की जांच की आवश्यकता बताते रहे हैं, लेकिन अब जांच की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस को लगातार चुनावों में हार से विक्षिप्त बताते हुए उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को कुंठाधिपति, ईर्ष्याधिपति और आधुनिक गोबल्स की संज्ञा दी। भाजपा प्रवक्ता ने दावा किया कि कांग्रेस नेता आज जिन 13 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे जाने की बात कर रहे हैं, इसमें 2.8 करोड़ लोग मृतक हैं, 6.3 करोड़ लोग स्थानांतरित हैं, एक करोड़ लोग डुप्लीकेट हैं, जिनका दो जगह वोट है और तीन करोड़ लोग अनुपस्थित या नान-ट्रेसेबल हैं। इनमें भी यदि किसी के पास कोई आधार है तो उनके पास मौका है कि वे कागज दिखाकर आ सकते हैं। डा. त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस स्पष्ट करे कि इन आंकड़ों में मृतक और डुप्लीकेट वोटर हैं या नहीं? कांग्रेस पर सभी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने का आरोप लगाते हुए भाजपा प्रवक्ता ने चुनावों में मेहनत नहीं करने के लिए राहुल को कामचोर बताया और कहा कि वह काम करते नहीं हैं और हार जाने पर वोट चोरी की बात कहते हैं। उन्होंने आइएनडीआइए सांसदों के विरोध-प्रदर्शन को सड़क पर की जाने वाली नाटकबाजी करार दिया और कहा कि राहुल बेबुनियाद आरोपों के जरिये अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विपक्षी दल अपने मार्च के जरिये संवैधानिक संस्थाओं की छवि खराब करने के लिए उन पर बेबुनियाद आरोप लगाकर अपनी चुनावी हार की हताशा निकाल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजीजू ने कहा कि चुनावी हार के लिए चुनाव आयोग को बुरा-भला कहने के बजाय राहुल को जनसमर्थन पाने के लिए लोगों की सेवा करनी चाहिए। पार्टी के एक अन्य प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस बार-बार राहुल गांधी को किसी भी तरह से लांच और री-लांच करने की कोशिश करती रही है। जब कई कोशिशों के बावजूद उन्हें कामयाबी नहीं मिली, तो वे किसी भी कीमत पर उन्हें लांच करने पर अड़ गए हैं।

कांग्रेस से किए पांच सवाल, कहा- कांग्रेस नेता पहले खुद बता रहे थे मतदाता सूचियों की जांच की आवश्यकता

भाजपा के कांग्रेस से पांच सवाल

- कांग्रेस ने आज तक कितनी संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर आरोप लगाए हैं और उनमें से कितने आरोप साबित हुए हैं?
- अगर मनरेगा में 4.54 करोड़ और राशन कार्ड में 5.8 करोड़ संदिग्ध लोग निकल सकते हैं, तो कांग्रेस के पास ऐसा कौन-सा अपूर्व ज्ञान है कि उसे लगता है कि मतदाता सूची में संदिग्ध लोग नहीं निकल सकते?
- पिछले एसआइआर-2003 से पहले कांग्रेस जिन राज्यों से गायब है और सदा-सर्वदा के लिए गायब है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है?
- आज तक राहुल गांधी ने कितने चुनावों में लगातार एक हफ्ते, डेढ़ हफ्ते या दो हफ्ते कैंप किया है और प्रचार किया है?
- आज कुछ राज्यों में उपचुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस ने उपचुनावों में मतदाता सूची चेक कर ली है अथवा नहीं?

मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 10 हजार करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड मंजूर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : फंड की कमी से जूझते छोटे और मध्यम उद्योगों (एसएमई) की दिक्कत को दूर करने के लिए सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपये का एक विशेष फंड बनाने का फैसला किया है। इससे वे अपने कारोबार का विस्तार कर सकेंगे यानी मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार का सृजन होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एसएमई ग्रोथ फंड (एसजीएफ) बनाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। यह फंड एसएमई कंपनियों को सीधे इक्विटी के जरिए निवेश करके मदद पहुंचाने का काम करेगा। कैबिनेट की बैठक के बारे में सूचना व प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया कि एसएमई ग्रोथ फंड की स्थापना का उद्देश्य भविष्य के चैंपियन उद्योग तैयार करना है। एसएमई ग्रोथ फंड भारत के छोटे और मझोले उद्यमों के लिए वृद्धि उन्मुख पूंजी (ग्रोथ ओरिएंटेड कैपिटल) जुटाने में मदद करेगा। मैन्यूफैक्चरिंग, सेवाओं, प्रौद्योगिकी, नवाचार आधारित क्षेत्रों और स्ट्रेटेजिक वैल्यू चेन में भारतीय चैंपियन कंपनियां खड़ी करने का लक्ष्य रखा गया है।

> कैबिनेट के 10 हजार करोड़ रुपये के एसएमई ग्रोथ फंड की स्थापना के निर्णय से एमएसएमई क्षेत्र को एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा। इससे कंपनियों को अपने विस्तार, उन्नत तकनीकों को अपनाने और वैश्विक बाजारों में प्रवेश करने में मदद मिलेगी। मंत्रिमंडल का यह फैसला भारतीय व्यापार जगत के भावी लीडर्स तैयार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
> – नरेन्द्र मोदी, पीएम।

उत्तर रेलवे

"अम्बाला मंडल, उत्तर रेलवे में एन.एस. जी –5 श्रेणी के स्टेशनों पर "स्टेशन टिकट बुकिंग एजेन्ट" को तीन वर्ष के लिये अधिकृत करने के लिए निविदाएं आमंत्रित करना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से प्रवर मण्डल वाणिज्य प्रबंधक, उत्तर रेलवे, अम्बाला छावनी द्वारा मोहरबंद निविदायें इछुक उम्मीदवारों से स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट की नियुक्ति हेतु 03 वर्षों की अवधि के लिए आमंत्रित किये जाते हैं।

1	NIT संख्या एवं दिनाक	C-37/BKG/STBA/Policy/Pt.11/2021 dt 05/10/2026
2	रेलवे की वेबसाइट	www.nr.indianrailways.gov.in
3	निविदा पत्र डाउनलोड करने की प्रारंभिक तिथि	05.10.2026
4	निविदा पत्र डाउनलोड करने की अंतिम तिथि	28.10.2026 को 14:00 बजे तक
5	निविदा पत्र जमा करने की तिथि एवं स्थान	28.10.2026 को 10:00 बजे से 15:00 बजे तक
6	निविदा पत्र खुलने की तिथि एवं स्थान	28.10.2026 को 15:30 बजे (O/o प्रवर मण्डल वाणिज्य प्रबंधक, अम्बाला छावनी, हरियाणा – 133031)
7	स्टेशन के नाम एवं ड्यूटी का समय	(see below)
8	निविदा पत्र का मूल्य (गैर वापसी)	रु. 1000/– पर + 18% जीएसटी सहित कुल **रु. 1180/–** की डिमांड ड्राफ्ट, जो सीनियर डिविजनल फाइनेंस मैनेजर, नॉर्दर्न रेलवे, अंबाला कैंट के पक्ष में देय हो। **नोटः– डीडी क्रेता (Purchaser) का नाम और STBA के लिए आवेदन करने वाले आवेदक का नाम एक ही होना चाहिए। किसी अन्य व्यक्ति के खाते से जमा की गई डीडी के कारण आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।**
9	ध्यान धरोहर राशि (वापसी योग्य)	NSG-5 स्टेशन के लिए रु. 5000/– जो सीनियर डिविजनल फाइनेंस मैनेजर, नॉर्दर्न रेलवे, अंबाला कैंट के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा किए जाएँ। **नोटः– डीडी क्रेता (Purchaser) का नाम और STBA के लिए आवेदन करने वाले आवेदक का नाम एक ही होना चाहिए। किसी अन्य व्यक्ति के खाते से जमा की गई डीडी के कारण आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।**

स्टेशन का नाम एवं श्रेणी	Duty timing
संगरूर (NSG-5)	08:00 to 20:00
नाभा (NSG-5)	06:00 to 22:00
दौलतपुर चौक (NSG-5)	06:00 to 22:00
बरनाला (NSG-5)	06:00 to 22:00

C-37/BKG/STBA/Policy/Pt.11/2021 दिनांक :- 05/10/2026

For वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक
उत्तर रेलवे, अम्बाला छावनी

3450/2026

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

कार्यालय वसूली अधिकारी-I/II
ऋण वसूली अधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2)
प्रथम तल, एससीओ 33-34-35, सेक्टर-17-ए, चंडीगढ़
(तीसरे एवं चौथे तल पर भी अतिरिक्त स्थल आवंटित)

मांग सूचना

ऋण की वसूली एवं दिवाला अधिनियम, 1993 की धारा 25 से 28 और आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 2 के अधीन सूचना।

आरसी/976/2025 15.09.2026

भारतीय स्टेट बैंक
बनाम
श्री प्रगट सिंह

सेवा में
(सीडी 1) श्री प्रगट सिंह पुत्र श्री जोगिंदर सिंह, निवासी गांव और डाकघर पोबाला, तहसील एवं जिला कैथल, हरियाणा।
(सीडी 2) श्री गुलाब सिंह पुत्र श्री प्रगट सिंह, निवासी गांव और डाकघर पोबाला, तहसील एवं जिला कैथल, हरियाणा।

यह अधिसूचित किया जाता है कि **ओए/2841/2018 में 10.12.2018** से प्रभावी उगाही तक पेंडेंटलाईट और आगामी ब्याज **@10.50%** कंपाउंड मासिक ब्याज और लागत **रु. 16,005/– (केवल सोलह हजार पांच रुपये)** के साथ राशि रु. **13,30,789/– (केवल तेरह लाख तीस हजार सात सौ नवासी रुपये)** हेतु पीठासीन अधिकारी, **ऋण वसूली अधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2)** द्वारा पारित आदेशों के अनुसार जारी वसूली प्रमाणपत्र आपके विरुद्ध (संयुक्त और पृथक तौर पर/पूर्ण रूप से/सीमित) नियत है।

2. आपको एतदद्वारा सूचना प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर उक्त राशि का भुगतान करने हेतु निर्देशित किया जाता है, जिसमें असफल रहने पर बैंक एवं वित्तीय संस्थान अधिनियम, 1993 और उसके अधीन नियमों से नियत ऋण की वसूली की जाएगी।
3. आपको एतदद्वारा सुनवाई की तिथि से पूर्व अथवा पर अपनी परिसंपत्तियों के विवरण को शपथपत्र पर घोषित करने हेतु आदेशित किया जाता है।
4. आपको आगामी कार्यवाही हेतु 03.11.2026 **को प्रातः 10.30 बजे** अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होने हेतु आदेशित किया जाता है।
5. उक्त राशि के अलावा, आप निम्नलिखित का भुगतान करने हेतु भी उत्तरदायी होंगेः
(ए) प्रमाणपत्र/निष्पादित प्रक्रियाओं की इस सूचना के तत्काल पश्चात आरंभ हुई अवधि के लिए इस प्रकार का ब्याज भी देय होगा।
(बी) इस सूचना एवं वारंट और अन्य प्रक्रियाओं की सेवा के संबंध में उपार्जित सभी लागतें, प्रभार एवं खर्चें और अन्य सभी प्रक्रियाएं नियत राशि की वसूली हेतु की जाएंगी।

दिनांकः 15.09.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं अधिकरण की मोहर के अधीन जारी।

वसूली अधिकारी
ऋण वसूली अधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी-2)

थाना तिगांव **जिला फरीदाबाद**

मुकदमा संख्या 85 दिनांक 18.84.2024 धारा 140(3) बीएनएस थाना तिगांव फरीदाबाद

इश्तेहार गुमशुदा लड़की सोहानी

आप सभी सर्वसाधण को सूचित किया जाताहै कि दिनाक 16.06.26को सोहानी पुत्री सुन्नी निवासी मुन्ना गर्म पोस्ट हस्लम हस्म वांदा उत्तर प्रदेश हाल किरायदार गांव तिगांव फरीदाबादघरपर तिगांव मार्केट के लिये बोलकर गई थी। जो अभी तक घर पर वापिस नही लौटी है। जिसका हुलिया इस प्रकार है रंग सांवला, लंबुतराचेहरा, कद 5फुट बाउम 17 साल है।यदि इस गुमशुदा लड़की बारे किसी को भी कुछ पता चले तो प्रबन्धक अफसर थाना तिगांव फरीदाबाद को निम्नलिखित नम्बरो पर सूचित करे।

प्रबन्धक अफसर- 9582200135
अनुसाधान अधिकारी- 9050819326

थाना तिगांव फरीदाबाद
दिनाक- 18.06.26

PRDH-1084/11/5437/2027/49939/67/4

आपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाने वाले आशुतोष दीक्षित होंगे अगले वायु सेना प्रमुख

आशुतोष दीक्षित ●एएनआइ

नई दिल्ली, प्रेट्र : आपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित अगले वायु सेना प्रमुख होंगे। वह 31 अक्टूबर को वर्तमान एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का स्थान लेंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, उन्हें 20 से अधिक प्रकार के विमानों पर 3,500 घंटे से अधिक उड़ान का अनुभव रखते हैं। लगभग चार दशकों के अपने सेवाकाल के दौरान, एयर मार्शल दीक्षित आपरेशन सफेद सागर और आपरेशन रक्षक सहित कई बड़े अभियानों में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। वह अपनी रणनीतिक योजना के लिए जाने जाते हैं। तेजस और अन्य स्वदेशी विमान परियोजनाओं को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका के लिए व्यापक रूप से जाने जाने वाले एयर मार्शल दीक्षित से रक्षा क्षेत्र में सरकार की आत्मनिर्भरता पहल को और मजबूत करने की उम्मीद है।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

आरओएसएआरबी एससीओ 62-63, तृतीय तल, बैंक स्क्वेयर, सेक्टर 17-बी, चंडीगढ़-160017

ई-नीलामी बिक्री सूचना

विस्तृत नियम एवं शर्तों हेतु यह स्कैन करें

चल/अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना
[चल/अचल हेतु नियम 6(2) के साथ अनुलग्नक-II ए]

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6(2) एवं 8(6) के प्रावधान को साथ पढ़ते हुए प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन एवं वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूतिकरण के अधीन चल/अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना।

आम जनता तथा विशेष तौर पर ऋणी, मोर्टगेजर एवं गारंटरों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि सिक्योर्ड क्रेडिटर को मोर्टगेज्ड/प्रभारित निम्न वर्णित चल/अचल संपत्तियों का **बैंक ऑफ बड़ौदा,** सिक्योर्ड क्रेडिटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा ग्रहण किया गया है, जिसकी निम्न वर्णित खातों में देय राशि की वसूली हेतु **"जैसा है, जहां है, जो है जैसा है तथा जहां है जैसा के आधार"** पर बिक्री की जाएगी। ऋणी/मोर्टगेजर/गारंटर/सिक्योर्ड परिसंपत्तियों/देय/आरक्षित कीमत/ई-नीलामी की तिथि एवं समय, ईएमडी तथा बोली वृद्धि राशि का विवरण निम्नानुसार हैः-

क्र. सं.	ऋणी/गारंटर एवं मोर्टगेजर का नाम एवं पता	ज्ञात भार, यदि कोई हो, के साथ चल/अचल संपत्ति का विवरण	कुल देय राशि	ई-नीलामी की तिथि एवं समय	आरक्षित कीमत / ईएमडी / बोली वृद्धि राशि	कब्जे की स्थिति	संपत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय
1.	ऋणीः- मेसर्स सतगुरु स्वीट हाउस, प्रोप.- श्री अमित कुमार कश्यप पुत्र श्री ओम प्रकाश कश्यप, व्यवसाय का स्थान – प्लाट सं. 128, शिव कालोनी, वीपीओ छछरौली, जिला यमुनानगर। ऋणी एवं मोर्टगेजरः- श्री अमित कुमार कश्यप पुत्र श्री ओम प्रकाश कश्यप, मकान सं. 6/32, राजन गली, छछरौली, यमुना नगर।	श्री अमित कुमार कश्यप पुत्र श्री ओम प्रकाश कश्यप के नाम में मोहल्ला राजन, तहसील छछरौली, जिला यमुना नगर में स्थित रिहायशी मकान सं. 6/32/2-सी एस, पंजीकृत हस्तांतरण विलेख सं. 771 दिनांक 10.06.2015 के अंतर्गत स्वामित्व, माप 281 वर्ग गज और **चौहद्दी निम्नानुसारः-उत्तरः** 11'-3'(गली), **दक्षिणः** 32'-6'(सरकारी स्कूल), **पूर्वः** 77'-4'(परमोद कुमार का मकान), **पश्चिमः** 39'-10'एवं 35'-3'(प्रदीप बख्शी की संपत्ति) – **बैंकनेट संपत्ति आईडी-बीएआरबी** 6045202400012	31.05.2017 को रु. 40,68,417/- + न लागू ब्याज+ असेवित ब्याज+विधिक/अन्य प्रभार 01.06.2017 से प्रभावी (वसूली को कम करके, यदि कोई की गई)	25.10.2026 को प्रातः 11.00 बजे से सायं 03.00 बजे	Rs. 28,00,000/- / Rs. 2,80,000/- / Rs. 10,000/-	बैंक का भौतिक कब्जा	19.10.2026 को प्रातः 11.00 बजे से सायं 03.00 बजे (केवल पूर्व अनुमति के साथ)

संपर्क व्यक्ति का नाम एवं सपर्क संख्याः सुश्री अमनप्रीत कौर, मुख्य प्रबंधक, मो. 8558846401

ईएमडी प्रस्तुतीकरण की अंतिम तिथिः ई-नीलामी की तिथि एवं समय को अथवा पूर्व
ई-नीलामी प्रारंभ होने की तिथि एवं समयः 28.10.2026 को प्रातः 11.00 बजे से सायं 03.00 बजे
ईएमडी भुगतान की विधिः एनईएफटी/ई-पेमेंट गेटवे

बिक्री की विस्तृत नियम एवं शर्तों हेतु, कृपया https://www.bankofbaroda.bank.in/e-auction.htm, और ऑनलाईन नीलामी पोर्टल https://Baanknet.com पर पधारें।

यह सरफेसी अधिनियम 2002 के अधीन 15 दिनों की वैधानिक बिक्री सूचना के तौर पर भी समझी जाए

दिनांकः06.10.2026 स्थानःचंडीगढ़ **प्राधिकृत अधिकारी**

थाना सेक्टर 58 **जिला फरीदाबाद**

राज्य द्वारा : अनीता देवी पत्नी बाल किशोर निवासी खाटू श्याम कालोनी गांव करनेरा थाना सेक्टर 58 जिला फरीदाबाद

मुकदमा सं. 592 दिनांक 14.08.2026 धारा 127(6) बीएनएस सेक्टर 58 फरीदाबाद

इश्तेहार गुमशुदा चांदनी

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि चांदनी पुत्री बालकिशोर निवासी खाटू श्याम कॉलोनी गांव करेरा थाना सै0-58 जिला फरीदाबाद की रहने वाली है जिसकी उम्र करीब 19 साल जो दिनांक- 13.08.2026 को समय करीब 02:00 PM पर बिना बताए घर से कहीं चली गयी है जो अभी तक घर वापिस नही आई है। अगर इस औरत बारे में किसी को कुछ पता चले तो नीचे लिखे हुए मोबाईल नम्बरों पर सूचित करें।

गुमशुदा व्यक्ति का हुलिया- - रंग सांवला; गोल चेहरा, हस्त-पुष्ट शरीर, कद 5 फुट 3 इंच, उम्र करीब 19 साल जो पिंक कलर के सूट-सलवार रखे है।

मो. नं.- 9953414099 (I/O HC ANIL)
मो. नं.- 9582200159 (I/C PP SIKRONA)
मो. नं.- 9582200169 (SHO PS SEC-58)

पुलिस चौकी सिकरोना,
फरीदाबाद
दिनांक- 14.08.2026

PRDH-1084/11/5439/2027/49943/67/4

यूको बैंक सम्मान आपके विश्वास का UCO BANK Honours your trust

ई-नीलामी बिक्री सूचना

यूको बैंक आंचलिक कार्यालय, चंडीगढ़ –एससीओ 55-56-57, बैंक स्क्वेयर, सेक्टर 17-बी, चंडीगढ़-160017, दूरभाषः 0172-5037339, 5037340, ई-मेलः zochng.rec@ucobank.bank.in

ई-नीलामी बिक्री की बिक्री सूचना (अचल संपत्तियों हेतु)

प्रतिभूति हित अधिनियम (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों को साथ पढ़ते हुए प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 (सरफेसी) के प्रवर्तन तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण व प्रतिभूतिकरण के अधीन अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना। आम जनता तथा विशेष तौर पर ऋणियों एवं गारंटरों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि सिक्योर्ड क्रेडिटर को मोर्टगेज्ड/प्रभारित निम्न वर्णित अचल संपत्तियों का **यूको बैंक** (सिक्योर्ड क्रेडिटर) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतीकात्मक/भौतिक कब्जा ग्रहण किया गया है, जिसकी **"जैसे है जहां है" "जो है जैसी है"** तथा **" जहां पर है जैसी भी है"** पर बिक्री की जाएगी तथा निम्न वर्णित अचल संपत्तियों की खरीद हेतु इच्छुक क्रेताओं से बोलियां आमंत्रित की जाती हैं।

क्र. सं.	शाखा एवं ऋणी/ गारंटर का नाम	अचल संपत्ति का विवरण	कब्जे की तिथि/कब्जे की स्थिति (भौतिक अथवा प्रतीकात्मक)	मांग सूचना की तिथि एवं राशि	आरक्षित कीमत / ईएमडी / बोली वृद्धि राशि	संबंधित अधिकारी का विवरण	नीलामी की तिथि एवं समय
1.	**अम्बाला शहर** ऋणीः-(1) आशा रानी (2) **सतीश कुमार,** मकान सं. 456, सेक्टर 7, अम्बाला शहर	**संपत्तिः** मकान सं. 456, माप 138 वर्ग मीटर, सेक्टर 7, अम्बाला शहर, **बुटेड एवं चौहद्दीः-पूर्वः** रोड, **पश्चिमः** तालाब, **उत्तरः** पार्क, **दक्षिणः** प्लाट सं. 3, मकान सं. 464	30.05.2026 /प्रतीकात्मक	**20.02.2026 / रु. 3,92,169.87* एनपीए के पश्चात किए गए भुगतान को कम करके**	रु. 2,20,00,000/- / रु. 22,00,000/- / रु. 20,000/-	**श्री लक्ष्मण सिंह खटाना मो. 9414275704 ई-मेलः ambaci@uco.bank.in**	**10.11.2026 को प्रातः 11.00 बजे से सायं 05.00 बजे**
2.	**अम्बाला शहर** ऋणीः-मेसर्स बीएस प्रोपर्टीज 09140510002711, 09140610013571, पताः- अम्बाला शहर	**संपत्तिः** खेवट/खतौनी सं. 483/530, खसरा सं. 33//9//2, 10/1, 12/1 वाका रकबा पट्टी अचारां, तहसील और जिला अम्बाला में सम्मिलित विशु विहार साथ लगती सोनिया कालोनी आबादी महिंदर नगर, अम्बाला शहर माप 150 वर्ग गज पर स्थित प्लाट सं. 4, **बुटेड एवं चौहद्दीः-पूर्वः** वाटर ड्रेन/रास्ता, **पश्चिमः** रास्ता, **उत्तरः** प्लाट सं. 5, **दक्षिणः** प्लाट सं. 3	14.10.2022 /प्रतीकात्मक	**25.01.2022 / रु. 18,22,484.06* एनपीए के पश्चात किए गए भुगतान को कम करके**	रु. 15,00,000/- / रु. 1,50,000/- / रु. 10,000/-	**श्री लक्ष्मण सिंह खटाना मो. 9414275704 ई-मेलः ambaci@uco.bank.in**	**10.11.2026 को प्रातः 11.00 बजे से सायं 05.00 बजे**

सरफेसी अधिनियम, 1961 के नियम 8(6) अधीन 15 दिनों की वैधानिक बिक्री सूचना

नियम एवं शर्तेः – 1. बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्दिष्ट नियम एवं शर्तों का विषय होगी। 2. संपत्तियां **"जैसा है जहां है"** एवं **"जो है जैसा है"** तथा **"जहां पर है जैसी है"** के आधार पर" बेची जाएंगी। 3. उक्त अनुसूची में वर्णित सिक्योर्ड परिसंपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की पूर्ण जानकारी से है, परंतु प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलत जानकारी व विलोपन के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। 4. नीलामी बिक्री पोर्टल https://baanknet.com पर **"ई-नीलामी के माध्यम ऑनलाईन"** होगी। 5. इच्छुक बोलीदाता/क्रेता को अपना मोबाईल नंबर व ई-मेल आईडी उपयोग करते हुए पोर्टल https://baanknet.com पर पंजीकृत होने का निवेदन किया जाता है। आगे, उन्हे केवाईसी दस्तावेज अपलोड करने का निवेदन किया जाता है। ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा एक बार केवाईसी दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा (इसमें 2 कार्यदिवस लग सकते हैं), इच्छुक **बोलीदाता/क्रेता पोर्टल में ई-नीलामी की तिथि व समय से पूर्व अपने ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ऑनलाईन विधि उपयोग करते हुए ईएमडी** हस्तांतरित करेंगे। पंजीकरण, केवाईसी दस्तावेजों का सत्यापन तथा वॉलेट में ईएमडी का हस्तांतरण नीलामी से पूर्व अग्रिम में किया जाना है। 6. ई-नीलामी के लिए प्लेटफार्म https://baanknet.com ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान किया जाएगा, **हेल्पडेस्क सं. +91-8291220220, हेल्पडेक्स ई-मेल आईडीः** support.baanknet@psballiance.com इच्छुक बोलीदाता/क्रेता को ई-नीलामी सेवा प्रदाता की वेबसाईट https://baanknet.com पर ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेना वांछित है। 7. **संपत्ति संबंधी किसी भी पूछताछ हेतु प्राधिकृत अधिकारी श्री लक्ष्मण सिंह खटाना, मो. 9414275704 से संपर्क करें।** 8. बिक्री की सामान्य नियम एवं शर्तों वाली बिक्री सूचना https://baanknet.com वेबसाइट/वेब पेज पोर्टल पर उपलब्ध/प्रकाशित है। 9. ई-नीलामी के इच्छुक प्रतिभागी https://baanknet.com पोर्टल से बिक्री सूचना, ई-नीलामी की नियम एवं शर्तें और ई-नीलामी के संचालन संबंधी सहायता मैनुअल की प्रतियां निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। 10. बोली लगाते समय बोलीदाता के ग्लोबल वॉलेट में पर्याप्त शेष राशि (ईएमडी राशि के बराबर या उससे अधिक) होनी चाहिए। 11. ई-नीलामी के दौरान बोलीदाताओं को अंतिम बोली से अधिक बोली लगाने की अनुमति होगी और बोली राशि में न्यूनतम वृद्धि बोलीदाताओं की अंतिम उच्च बोली के बराबर होनी चाहिए, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। बोलीदाताओं को क्रमिक रूप से उच्च बोली लगाने के लिए दस (10) मिनट का समय दिया जाएगा और यदि अंतिम उच्चतम बोली के दस मिनट समाप्त होने के बाद किसी भी बोलीदाता द्वारा कोई उच्च बोली नहीं लगाई जाती है, तो ई-नीलामी बंद कर दी जाएगी। 12. इच्छुक बोलीदाता की यह जिम्मेदारी है कि वे बिक्री सूचना, ई-नीलामी के नियम और शर्तें; ई-नीलामी के संचालन संबंधी सहायता पुस्तिका को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनका सख्ती से पालन करें। ई-नीलामी प्रक्रिया से पहले या उसके दौरान किसी भी कठिनाई या सहायता की आवश्यकता होने पर, हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता https://baanknet.com के प्राधिकृत प्रतिनिधि से संपर्क करें। जिसका विवरण ई-नीलामी पोर्टल पर उपलब्ध है। 13. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ई-नीलामी को अंतिम रूप देने के बाद, केवल सफल बोलीदाता को हमारे उपरोक्त सेवा प्रदाता द्वारा एसएमएस/ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा (उनके द्वारा दिए गए/सेवा प्रदाता के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर/ईमेल पते पर)। 14. आरक्षित संपत्ति आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जाएगी। प्राधिकृत अधिकारी को किसी भी बोली को स्वीकार करने या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है, यदि वे स्वीकार्य न पाई जाएं, या किसी भी समय बिना कोई कारण बताए नीलामी को स्थगित/रद्द/स्थगित/बंद करने या उसकी शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार है, और इस संबंध में उनका निर्णय अंतिम होगा। 15. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पूर्ण बोली राशि जमा करने पर सफल बोलीदाता के पक्ष में विक्रय प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। 16. बोली जमा करने से पहले संपत्ति और उसके विवरण का निरीक्षण करना और उससे संतुष्ट होना बोलीदाताओं की जिम्मेदारी होगी। बोलीदाता प्रदान किए गए विवरण के अनुसार संबंधित अधिकारी से परामर्श करके संपत्ति का निरीक्षण करें। पंजीकरण शुल्क, स्टाम्प शुल्क, कर आदि सहित सभी वैधानिक देय/संबंधित शुल्क/अन्य देय राशियों का वहन क्रेता द्वारा किया जाएगा। 18. बैंक का प्राधिकृत अधिकारी बैंक को अज्ञात संपत्तियों (ई-नीलामी) के संबंध में सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को देय किसी भी शुल्क, ग्रहणाधिकार, भार या अन्य देय राशि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वे संपत्ति पर मौजूद भारों, जिनमें वैधानिक देनदारियां, संपत्ति कर का बकाया, बिजली बिल आदि शामिल हैं, के संबंध में स्वयं स्वतंत्र जांच करें। 19. बोलीदाता को उचित इंटरनेट कनेक्टिविटी और पावर बैक-अप आदि सुनिश्चित करना चाहिए। इंटरनेट की विफलता, बिजली की विफलता या तकनीकी कारणों या ई-नीलामी को प्रभावित करने वाले कारणों/आकस्मिकताओं के कारण होने वाली किसी भी बाधा के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। 20. यदि संपत्ति का मूल्य 50 लाख रुपये से अधिक है, तो सफल बोलीदाता को 1% टीडीएस वहन करना होगा। 21. इस सूचना को नियम 9(1) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के तहत ऋणी और गारंटर को 30 दिन की वैधानिक बिक्री सूचना के रूप में भी माना जाएगा। 22. एकमात्र बोलीदाता के मामले में, उसके बोली प्रपत्र में उद्धृत बोली राशि में कम से कम एक बोली वृद्धि मूल्य की वृद्धि होनी चाहिए, अन्यथा बिक्री रद्द/स्थगित कर दी जाएगी। 23. यदि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सफल बोलीदाता को बिक्री पुष्टिकरण पत्र जारी करने से पहले ऋणी बैंक को संविदात्मक देय राशि और अन्य व्यय जमा कर देता है, तो बिक्री की पुष्टि नहीं की जाएगी; ऐसे मामले में बैंक सफल बोलीदाता द्वारा भेजी गई पूरी राशि बिना ब्याज के वापस कर देगा।

दिनांकः 06.10.2026 स्थानः चंडीगढ़ **प्राधिकृत अधिकारी**

कार्यालय वसूली अधिकारी-I/II
ऋण वसूली अधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी-2)
प्रथम तल, एससीओ 33-34-35, सेक्टर-17-ए, चंडीगढ़-160017
(तीसरे एवं चौथे तल पर भी अतिरिक्त स्थल आवंटित)

ऋण की वसूली एवं दिवाला अधिनियम 1993 के साथ पढ़े गए आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 53 के अधीन एक बिक्री उद्घोषणा की सेटलिंग हेतु सूचना

आरसी/37/2025 ईएक्सएच.सं. 915
16.09.2026

भारतीय स्टेट बैंक
बनाम
मेसर्स एच.ए.इंटरप्राईजेज

सेवा में,
(सीडी 1) मेसर्स एच.ए.इंटरप्राईजेज, प्रोपराईटर संबंधित, इसके प्रोपराईटर-**श्री अमरीक सिंह** पुत्र श्री रजवंत सिंह के माध्यम से, अम्बाला-सहारनपुर रोड, गांव जानीस नगर, तहसील नकुड, जिला सहारनपुर, यूपी में स्थित।
(सीडी 2) श्री होशियार सिंह पुत्र श्री रजवंत सिंह, निवासी मकान सं. 333, ओल्ड हामिदा, गढ़ी रोड, समीप पुलिस स्टेशन, यमुनानगर, तहसील जगाधरी, जिला यमुनानगर, हरियाणा।
(सीडी 3) श्री अमरीक सिंह पुत्र श्री रजवंत सिंह, प्रोपराईटर मेसर्स एच.ए.इंटरप्राईजेज, निवासी मकान सं. 333, ओल्ड हामिदा, गढ़ी रोड, समीप पुलिस स्टेशन, यमुनानगर, तहसील जगाधरी, जिला यमुनानगर, हरियाणा।

चूंकि आपको, **मेसर्स एच.ए.इंटरप्राईजेज** को, पीठासीन अधिकारी, **ऋण वसूली अधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2)** द्वारा आवेदक के नाम में आवेदक बैंक/वित्तीय संस्थानों को 01.08.2017 से प्रभावी उगाही की तिथि तक पेंडेंटलाईट और आगामी ब्याज **@12.90%** और लागत **रु. 45,005/– (केवल पैंतालीस हजार पांच रुपये)** के साथ राशि **रु. 42,76,449.99 (केवल ब्यालीस लाख छिहत्तर हजार चार सौ उनचास रुपये एवं निन्यानवे पैसे)** का भुगतान करने हेतु **ओए/4665/2017** में वसूली प्रमाणपत्र दिनांक **22.01.2025** जारी किया गया था, तथा चूंकि उक्त कथित का भुगतान नहीं किया गया है, इसलिए अधोहस्ताक्षरी ने नीचे उल्लिखित अचल/अचल संपत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।

2. आपको एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि **28.10.2026 को प्रातः 10:30 बजे** बिक्री की उद्घोषणा तैयार करने और उसकी शर्तों को निर्धारित करने के लिए निर्धारित किया गया है। आपसे अनुरोध है कि आप उक्त संपत्तियों या उसके किसी भी हिस्से से जुड़े किसी भी भार, प्रभार, दावे या देनदारियों को अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें।

संपत्ति का विनिर्देशन

इससे संबंधित सभी अधिकारों के साथ गांव जनीश नगर, परगना सुलतानपुर, तहसील नकुड, जिला सहारनपुर में स्थित खाता सं. 00002, खसरा सं. 143/5 से संबंधित भूमि क्षेत्र 0.1008 हेक्टेयर के साथ निर्माण सहित खुली भूमि। **चौहद्दी निम्नानुसारः-पूर्वः**प्रमोद कुमार एवं अन्य की भूमि, **पश्चिमः** मुकेश कुमार एवं अन्य की भूमि, **उत्तरः** अम्बाला रोड, **दक्षिणः** असकरन एवं अन्य की भूमि।

दिनांकः16.09.2026 को मेरे हस्ताक्षर और अधिकरण की मुहर के तहत जारी।

वसूली अधिकारी
ऋण वसूली अधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2)

हरियाणा सरकार
नागरिक उड्डयन विभाग

30 बेज़ बिल्डिंग, तीसरी मंज़िल, सेक्टर-17/B, चंडीगढ़
वेबसाइटः www.haraviation.gov.in
ई-मेलः cavation@hry.nic.in
दूरभाष नंबरः 0172-2709386

वॉक-इन इंटरव्यू

नागरिक उड्डयन विभाग, हरियाणा, भारत सरकार (नई दिल्ली) के महानिदेशक नागरिक उड्डयन की आवश्यकता अनुसार, पूर्णतः अनुबंध आधार पर एक **'फ्लाइट सेफ्टी मैनेजर'** को आउटसोर्स करना चाहता है। इसके लिए 70,000 रुपये प्रति माह का निश्चित वेतन दिया जाएगा। यह नियुक्ति एक वर्ष के लिए या उस पद पर नियमित उम्मीदवार के आने तक (जो भी पहले हो) होगी। अनिवार्य योग्यता और अनुभव का विवरण इस प्रकार हैः -

1. फ्लाइट सेफ़्टी सेल (नॉन-शेड्यूल ऑपरेटर / शेड्यूल ऑपरेटर / जनरल एविएशन) के क्षेत्र में कम से कम 05 साल का एविएशन अनुभव।
2. किसी भी राज्य के नागरिक उड्डयन विभाग में 5 साल से ज़्यादा काम करने का अनुभव रखने वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी।
3. ट्विन-इंजन हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट पर काम करने का अनुभव।
4. एयर सेफ्टी प्रक्रियाओं, फ्लाइट सेफ्टी मैनुअल, FSDS, SMS और अन्य संबंधित मैनुअल की जानकारी।
5. आयु सीमाः विज्ञापन प्रकाशित होने की तारीख को अधिकतम 42 वर्ष।

योग्य उम्मीदवार **15.10.2026 (गुरुवार) को प्रातः 11 बजे** अपने मूल प्रमाणपत्रों/दस्तावेज़ और उनकी फ़ोटोकॉपी के साथ निदेशक, नागरिक उड्डयन, हरियाणा, तीसरी मंज़िल, 30 बेज़ बिल्डिंग, सेक्टर 17-B, चंडीगढ़ के कार्यालय में पहुँच सकते हैं। यह नियुक्ति पूरी तरह से अनुबंध आधार पर होगी। चयन समिति के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी उम्मीदवार को अस्वीकार या स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। कोई TA/DA नहीं दिया जाएगा।

महानिदेशक
नागरिक उड्डयन विभाग, हरियाणा।

PRDH-1017/11/25/2027/49971/67/4

कार्यालय वसूली अधिकारी-I/II
ऋण वसूली अधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2)
प्रथम तल, एससीओ 33-34-35, सेक्टर-17-ए, चंडीगढ़
(तीसरे एवं चौथे तल पर भी अतिरिक्त स्थल आवंटित)

मांग सूचना

ऋण की वसूली एवं दिवाला अधिनियम, 1993 की धारा 25 से 28 और आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 2 के अधीन सूचना।

आरसी/198/2023 03.07.2026

बैंक ऑफ बड़ौदा
बनाम
स्ट्रीट बेसिक्स (Street Basics) और अन्य

सेवा में
(सीडी 1) स्ट्रीट बेसिक्स (Street Basics) और अन्य, एफ-6, फोकल प्वाइंट, औद्योगिक क्षेत्र, डेराबस्सी, पंजाब। (नया पता-एससीएफ 23, प्रथम एवं द्वितीय तल, एमएस इन्कलेव, ढकोली, जीरकपुर, पंजाब) को इसके भागीदार, श्री गुरप्रीत सिंह पुत्र श्री मोहिंदर सिंह (प्रतिवादी सं. 2) और श्री तपस्वी कुमार पुत्र श्री सतीश कुमार (प्रतिवादी सं. 3) के माध्यम से।
(सीडी 2) श्री गुरप्रीत सिंह पुत्र श्री मोहिंदर सिंह, निवासी मकान सं. 230, प्रीत कालोनी, जीरकपुर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, मोहाली/अजीतगढ़, पंजाब।
(सीडी 3) श्री तपस्वी कुमार पुत्र श्री सतीश सिंह, निवासी मकान सं. 1591, सेक्टर 3, कुरुक्षेत्र, हरियाणा।
(सीडी 4) श्री जसकिरत सिंह पुत्र श्री मोहिंदर सिंह, निवासी मकान सं. 230, प्रीत कालोनी, जीरकपुर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, मोहाली/अजीतगढ़, पंजाब।

यह अधिसूचित किया जाता है कि **ओए/4544/2017 में 10.07.2017** से प्रभावी उगाही तक पेंडेंटलाईट और आगामी ब्याज @10% साधारण वार्षिक ब्याज और लागत **रु. 59,255/– (केवल उनसठ हजार दो सौ पचपन रुपये) के साथ राशि रु. 56,70,406/– (केवल छप्पन लाख सत्तर हजार चार सौ छह रुपये)** हेतु पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2) द्वारा पारित आदेशों के अनुसार जारी वसूली प्रमाणपत्र आपके विरुद्ध (संयुक्त और पृथक तौर पर/पूर्ण रूप से/सीमित) नियत है।

2. आपको एतदद्वारा सूचना प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर उक्त राशि का भुगतान करने हेतु निर्देशित किया जाता है, जिसमें असफल रहने पर बैंक एवं वित्तीय संस्थान अधिनियम, 1993 और उसके अधीन नियमों से नियत ऋण की वसूली की जाएगी।
3. आपको एतदद्वारा सुनवाई की तिथि से पूर्व अथवा पर अपनी परिसंपत्तियों के विवरण को शपथपत्र पर घोषित करने हेतु आदेशित किया जाता है।
4. आपको आगामी कार्यवाही हेतु **13.10.2026 को प्रातः 10.30 बजे** अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होने हेतु आदेशित किया जाता है।
5. उक्त राशि के अलावा, आप निनलिखित का भुगतान करने हेतु भी उत्तरदायी होंगेः
(ए) प्रमाणपत्र/निष्पादित प्रक्रियाओं की इस सूचना के तत्काल पश्चात आरंभ हुई अवधि के लिए इस प्रकार का ब्याज भी देय होगा।
(बी) इस सूचना एवं वारंट और अन्य प्रक्रियाओं की सेवा के संबंध में उपार्जित सभी लागतें, प्रभार एवं खर्चें और अन्य सभी प्रक्रियाएं नियत राशि की वसूली हेतु की जाएंगी।

दिनांकः **03.07.2026** को मेरे हस्ताक्षर एवं अधिकरण की मोहर के अधीन जारी।

वसूली अधिकारी
ऋण वसूली अधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी-2)